संख्या- 9 /154 /अड़तीस-9-14-500(39)/2013

प्रेषक

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 04 मार्च, 2014

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को नामित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन से मार्ग-दर्शन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्राय: विभिन्न मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा पत्र के माध्यम से शासन से यह अनुरोध किया जा रहा है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत मा0 विधायक गण द्वारा अमुक संस्था से कार्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है। अत: शासन कृपया इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन दे कि अमुक संस्था से कार्य कराया जा सकता है अथवा नहीं।

2- उपरोक्त अनुरोध के संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था/अभिकरण नामित करने हेतु मानक सिद्वान्त समय-समय पर पहले ही शासनादेश निर्गत किये गये है। इस सम्बन्ध में जो भी कार्यकारी आदेश निर्गत किये गये है, वह पर्याप्त एवं स्पष्ट है।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1240/अड़तीस-9-13-500(17)/2012, दिनांक-14·10·2013 के प्रस्तर-1 द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिये कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है। जिलाधिकारी द्वारा चयनित कार्यदायी संस्थाओं की पैनल/सूची प्रतिवर्ष बनायी जानी है तथा प्रतिवर्ष पैनल/सूची तैयार करते समय उन कार्यदायी संस्थाओं को शामिल न करने के निर्देश हैं, जिनके द्वारा विगत वर्ष के कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक तथा समयबद्व रूप से पूर्ण नहीं किया गया है। सुसंगत प्राविधान यथावत उदधृत किये जा रहे है:-

" विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए शासकीय कार्यदायी विभागों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्था/राज्य सरकार के उपक्रम/निगमित निकाय, जो निर्माण कार्यों के लिये अधिकृत है, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में इस शर्त के साथ नामित किया जाय कि ऐसी कार्यदायी संस्थायें इस योजना के अन्तर्गत सैंटेज चार्जेज की मांग नहीं करेंगी। जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसी कार्यदायी संस्थाओं की सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी, परन्तु इस सूची में ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को, जिन्होंने पिछले वर्ष के कार्यों की गुणवत्ता के साथ समयबद्व रूप से पूर्ण नहीं किया है, पुन: सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य स्वयं सेवी संगठनों (N.G.O.'s)/निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा। "

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को ससमय सम्पन्न कराये जाने के उददेश्य से निर्गत शासनादेश संख्या-1240/अड्तीस-9-13-500(17)/2012, दिनांक-14·10·2013 के दिशा-निर्देशों के प्रकाश में किसी संस्था विशेष के चयन के सम्बन्ध में संस्था की तकनीकी विशेषज्ञता/क्षमता, उपलब्ध मानव संसाधन तथा पूर्ववर्ती कार्य-अनुभव इत्यादि के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी स्व-विवेक से स्वयं निर्णय लेने का कष्ट करें, जिससे योजना का समय से क्रियान्वयन किया जा सके।

भवदीय

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 9 /154 (1)/अड्तीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in